भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

18.03.2015 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 3626

दुर्लभ भू-खनिज

3626. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपलब्ध दुर्लभ भू-खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन भू-खनिजों के खनन की अनुमति निजी कंपनियों को भी दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 'इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड' (आईआरईएल) खनन पट्टों संबंधी समस्याओं से जूझ रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास पुलिन बालू और अंत:स्थलीय प्लेसर निक्षेपों में विद्यमान मोनाजाइट खनिज, देश में विरल मृदा का एक प्रमुख स्रोत है। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने, दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास पुलिन बालू खनिज प्लेसर निक्षेपों में 11.39 मिलियन मीटरी टन मोनाज़ाइट स्रोतों की विद्यमानता का अनुमान लगाया है। सामान्य तौर पर, मोनाज़ाइट में कुल लगभग 55-60% विरल मृदा ऑक्साइड विद्यमान होता है। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय द्वारा पता लगाए गए स्वस्थाने स्रोतों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	मोनाजाइट (मिलियन मीटरी टन)
ओडिशा	2.41
आंध्र प्रदेश	3.72
तमिलनाडु	2.46
केरल	1.90
पश्चिम बंगाल	1.22
झारखंड	0.22
कुल	11.93

जीनोटाइम स्रोत, जोकि एक और विरल मृदा-युक्त खनिज है, की मात्रा भारत में नगण्य है। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय ने, छत्तीसगढ़ और झारखंड के नदी के तट पर भारी खनिज लेसर निक्षेपों में लगभग 2000 मीटरी टन जीनोटाइम-युक्त भारी खनिज सांद्र का पता लगाया है, जिसमें 2% जीनोटाइम विद्यमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) खनन के लिए पट्टा संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) द्वारा मौजूदा खनन पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए, और नए खनन पट्टे के लिए खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र कभी-कभी राज्य सरकार के पास लंबित पड़े होते हैं।

*****